

उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

बनाम श्रीम

मु. सं.

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

3.22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रवीण उपखण्ड प्रा. पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रवीण का दावा न्यायालय हाजा में विचारधीन था जिसमें तारीख पेशी 09-10-17 नियत थी। इस नियत तिथि के प्रवीण या उसका वकील पेश नहीं हुए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे जिसकी वजह से दावा ऊपर हाजरी-ऊपर पेशी में खारिज कर दिया गया था। प्रवीण को इसकी जानकारी होने पर यह प्रा. पत्र बाद दापरी पेश कर दावे को पुनः नम्बर पर लेने हेतु निवेदन किया है। प्रा. पत्र दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर अग्रणीकरण की तलबी करवाई गई अग्रणीकरण कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। प्रवीण के वकील की एक प्रतिलिपि बटस सुनी गई। प्रवीण के हित को देखते हुए बाद को पुनः नम्बर पर लेने हेतु निवेदन किया।

अतः न्यायहित में प्रवीण के हितों को देखते हुए प्रवीण का प्रा. पत्र बाद दापरी स्वीकार किया जाता है। तथा प्रवीण के बाद को पुनः नम्बर पर लेने के आदेश दिये जाते हैं। प्रा. पत्र केशल सुमार होकर नम्बर के समर्थ तथा शामिल मूल दावा रहे।

(Signature)
उपजिला मजिस्ट्रेट
महवा